राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ पुनरीक्षा याचिका संख्या 223/2022

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6081/2014

डॉ. तृप्ति सिंघवी पुत्री श्री वीरेंद्र राज सिंघवी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी हार्दिक 17/15, चोपसानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, वर्तमान निवासी-कमरा नंबर 313, गर्ल्स हॉस्टल, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, सुभाष नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य-प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री विकास पारीक
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री विवेक त्यागी

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>03/03/2023</u>

"कानून जागने वालों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं।" -

सैल्मंड

कानूनी राहत का लाभ उठाने के लिए जीवनकाल तय करना और मुकदमेबाजी के

लिए समय सीमा तय करना सामान्य कल्याण के उद्देश्य से है। अन्यथा जब तक सीमा निर्धारित नहीं की जाती तब तक किसी भी मुकदमे का अंत नहीं होगा।

(1) यह समीक्षा याचिका 2264 दिनों के लिए कालातीत है। समीक्षा याचिकाकर्ता (राज्य/प्रतिवादी) ने न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.09.2016 के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच को निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अनुमति दी गई थी:-

> "उपरोक्त तथ्यों और नियमों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि प्रत्यर्थीगण को अध्ययन छुट्टी देने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करना चाहिए था क्योंकि पीजी पाठ्यक्रम में उनका प्रवेश सेवा में आने के बाद हुआ था। अध्ययन छुट्टी मांगने से पहले तीन वर्ष की सेवा पूरी करने का प्रतिबंध परिवीक्षाधीन याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होगा, इसलिए उन्हें अस्थायी कर्मचारी नहीं माना जा सकता है।
>
> तदनुसार, इन रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। प्रत्यर्थीगण को नियम 110 और 122 के अनुसार 36 महीने की अवधि, अर्थात पीजी कोर्स की अवधि के लिए अध्ययन छुट्टी देने का निर्देश दिया जाता है। पाठ्यक्रम पूरा होने पर याचिकाकर्ताओं को पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को 10 लाख रुपये के बांड के साथ एक शपथ-पत्र देना होगा कि पीजी कोर्स पूरा होने के बाद वे न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए सरकार की सेवा करेंगे।
>
> इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को बांड के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) इस समीक्षा याचिका को दायर करने में हुई विलंब को स्पष्ट करने के लिए 2264 दिनों की विलंब को माफ करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और पैराग्राफ संख्या 2 से 4 में निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> 2. समीक्षाधीन आदेश दिनांक 07.09.2016 को पारित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि कानूनी राय प्राप्त करने के बाद मामले को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ाया गया और प्रशासनिक कारणों से और विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न स्तरों से राय लेने में लगने वाले समय के कारण, और अंततः राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और समीक्षा याचिका तैयार कर दाखिल की गई।
>
> 3. याचिकाकर्ता द्वारा एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 759/2020 भी दायर की गई थी जिसका इस माननीय न्यायालय ने

14.07.2022 को निपटान कर दिया था।

4. समीक्षा याचिका दायर करने में हुई विलंब किसी दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर किए गए इरादे से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह उपरोक्त वास्तविक कारणों के कारण है, इसलिए यह न्याय के हित में माफ किए जाने योग्य है क्योंकि आवेदकों का दृढ़ गुणागुण मामला है।"

(3) विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि समीक्षा याचिकाकर्ता/राज्य राहत करने में पूर्णतः अकर्मण्य एवं सुस्त था। आक्षेपित आदेश 07.09.2016 को पारित किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार भी दुनिया भर में कोविड-19 महामारी फैली हुई थी और प्रशासनिक कारणों से समय बर्बाद हुआ। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि लॉकडाउन केवल 20.03.2020 से शुरू हुआ था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सी) संख्या 3/2020** में सीमा के विस्तार के लिए **संज्ञान में विलंब को माफ कर दिया था।** सीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो गई होगी। परिसीमा अवधि की गणना में 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को शामिल नहीं किया गया। लेकिन यहां इस मामले में, आक्षेपित आदेश 07.09.2016 को पारित किया गया था, जबकि 14.03.2020 तक कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की गई थी और यहां तक कि 01.03.2022 के बाद 14.12.2022 तक भी कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की गई थी। भले ही 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की कोविड-19 की अवधि को हटा दिया जाए, यह याचिका निराशाजनक रूप से चार वर्ष से अधिक समय से बाधित है। राज्य प्राधिकरण इस मामले को बिना किसी उचित कारण के चार वर्ष से अधिक समय तक दबाए बैठा रहा।

(4) हाल की दो न्यायिक घोषणाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय के आधिपत्य ने मामले को दबाए रखने और अत्यधिक विलंब के बाद अपील दायर करने और मामले के बचे रहने का एकमात्र बहाना लेकर राज्य प्राधिकरण की ओर से इस तरह की प्रथा की निंदा की है। मामला कार्यालय में एक टेबल से दूसरे टेबल पर लंबित है।

(5) **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भेरूलाल, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 849** के मामले में यह पाया गया कि राज्य द्वारा दायर अपील 663 दिनों की विलंब से दायर की गई थी। उस मामले में अत्यधिक विलंब का कारण दस्तावेजों की अनुपलब्धता

और दस्तावेजों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया और नौकरशाही प्रक्रिया कार्यों का संदर्भ भी था। उपरोक्त तथ्यात्मक संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने, अपने पहले के निर्णय का उल्लेख करते हुए, निम्नानुसार कहा-

> "3. इसमें कोई संदेह नहीं है, सरकार की अक्षमताओं के लिए कुछ छूट दी गई है, लेकिन दुखद बात यह है कि अधिकारी उस समय तक न्यायिक घोषणाओं पर निर्भर रहते हैं जब तकनीक उन्नत नहीं हुई थी और सरकार को अधिक छूट दी गई थी (कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम एमएसटी कातिजी (1987) 2 एससीसी 107)। यह स्थिति मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (2012) 3 एससीसी 563 में इस न्यायालय के निर्णय से अधिक स्पष्ट है जहां न्यायालय ने निम्नानुसार माना:
>
> > "12) यह विवाद नहीं है कि संबंधित व्यक्ति इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के माध्यम से मामले को उठाने के लिए निर्धारित सीमा अवधि सहित इसमें शामिल मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ या परिचित थे। वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास एक अलग सीमा अवधि है जब विभाग में अदालती कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्ति थे। प्रशंसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि विलंब को यांत्रिक रूप से केवल इसलिए माफ क्यों किया जा सकता है क्योंकि सरकार या सरकार का एक विंग हमारे सामने एक पक्ष है। यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विलंब की माफी के मामले में जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या सद्भावना की कमी नहीं थी, तो पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत अपनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों में और परिस्थितियों के कारण विभाग पूर्व के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता। कई नोट्स बनाने की अवैयक्तिक मशीनरी और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के दावे को आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और उपलब्ध होने के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिसीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बाध्य करता है।
> >
> > 13) हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और सहायक संस्थाओं को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास विलंब के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फ़ाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभागों पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे अपने

> कर्तव्यों का पालन परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ करें। विलंब की माफ़ी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एकसमान आश्रय देता है और इसे कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं माना जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभाग द्वारा विभिन्न तारीखों का उल्लेख करने के अलावा विलंब के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, हमारे अनुसार, विभाग इतनी बड़ी विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त स्वीकार्य और ठोस कारण देने में बुरी तरह विफल रहा है। आठ वर्ष बाद भी निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया।"

(6) एक अन्य निर्णय में, **महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग) बनाम बोरसे ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 233** में भी, 75 दिनों की लंबी विलंब के तथ्यात्मक संदर्भ में, स्पष्टीकरण में किसी भी पर्याप्त कारण की कमी पाई गई। उपरोक्त मामले में स्पष्टीकरण उक्त निर्णय के पैरा 65 में निम्नानुसार नोट किया गया था-

> "65. इसके अलावा, इस अपील के तथ्यों पर, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा प्रदान की गई 60 दिनों की अवधि से 75 दिनों की लंबी विलंब हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि जिला न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रतिवादी को 27.04.2019 को प्राप्त हुई थी, अपील केवल 09.09.2019 को दायर की गई थी, विलंब के लिए स्पष्टीकरण:
> "2. आदेश दिनांक 01/04/2013 की प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ता को 27/04/2019 को प्राप्त हुई। इसके बाद आदेश के पालन के लिए मामला सीजीएम परचेज एमपीपीकेवीवीसीएल के समक्ष रखा गया। फिर इसे राय के लिए कानून अधिकारी, एमपीपीकेवीवीसीएल को भेजा गया।
> 3. अपील के लिए राय लेने और संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बाद, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिनांक 23/07/2019 द्वारा नियुक्त किया गया था।
> 4. इसके बाद, मामले के भारी रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की खरीद के कारण कुछ विलंब हुई है, हालांकि, अपील तैयार की गई है और उसी के अनुसरण में दायर की गई है और इसमें और विलंब हुई है।
> 5. उपरोक्त प्रक्रियात्मक मंजूरी के कारण और चूंकि अपीलकर्ता राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के तहत गठित एक सार्वजनिक इकाई है, इसलिए अपील दायर करने में हुई विलंब उचित है और इसे माफ किया जाना चाहिए।"

(7) हालाँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय उपरोक्त पंक्तियों में दिखाए गए कारण से संतुष्ट नहीं था और इसे अभिर्निधारित किया:

> "66. यह स्पष्टीकरण किसी भी पर्याप्त कारण को स्पष्ट करने में बहुत कम है। इसलिए यह अपील स्वीकार की जाती है और इस आधार पर भी विलंब की माफी खारिज की जाती है।"

(8) परिसीमा अधिनियम 1963 (संक्षेप में '1963 का अधिनियम') की अनुसूची से जुड़ा खंड 124 समीक्षा याचिका दायर करने के लिए परिसीमा की अवधि से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय के निर्णय की समीक्षा दाखिल करने की सीमा 30 दिन है।

(9) **पोपट बहिरु गोवर्धन बनाम भूमि अधिग्रहण** अधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय **2013 (10) एससीसी 765** प्रकाशित में माना है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर परिसीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। वैधानिक प्रावधान से किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा हो सकती है लेकिन न्यायालय के पास इसे पूर्ण प्रभाव देते हुए लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(10) 1963 के अधिनियम की धारा 5 उचित वास्तविक विलंब की व्याख्या करने पर विलंब की माफी के प्रावधान से संबंधित है। विलंब माफ़ी का यह प्रावधान विधायिका द्वारा दूसरे पक्ष के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। विजेता अपने पक्ष में निर्णय किए गए मामले के फल का आनंद लेने का हकदार है। उसे इस आधार पर अनिश्चित काल तक निर्णय का लाभ पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है कि विपरीत पक्ष विलंब के संतोषजनक कारण बताए बिना विलंबित समीक्षा याचिका दायर करके उसी न्यायालय के समक्ष निर्णय को चुनौती दे सकता है। उसी समय मुकदमे का अंत होना चाहिए। लंबे समय के बाद सोए हुए वादी को जागने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में, समीक्षा याचिकाकर्ता (राज्य/प्रतिवादी) 07.09.2016 से छह वर्ष से अधिक समय तक सो रहा था और 15.12.2022 को जाग गया और महसूस किया कि दिनांक 07.09.2016 के आदेश की समीक्षा करने और वापस लेने की आवश्यकता है। इस समीक्षा याचिका को दायर करने में छह वर्ष की विलंब के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(11) **मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम 2012** में प्रकाशित **(4) एससीसी 154** के मामले में पैरा संख्या 14 में, इसे निम्नानुसार देखा गया है:-

> "सीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। लिमिटेशन एक्ट, 1963 पार्टियों के अधिकारों को नष्ट करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि वे बिना किसी अनुचित विलंब के अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। परिसीमा की अवधारणा के पीछे का विचार यह है कि प्रत्येक उपाय विधानमंडल द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति तक ही जीवित रहना चाहिए। साथ ही, अदालतों को विलंब को माफ करने का अधिकार है, बशर्ते कि आवेदक निर्धारित सीमा अवधि के भीतर उपाय का लाभ नहीं उठाने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाए।"

(12) पुंडलिक जालम पाटिल बनाम कार्यकारी अभियंता, जलगांव मध्यम परियोजना 2008 (17) एससीसी 448 प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है:-

> "सीमा के नियम सार्वजनिक नीति पर आधारित होते हैं।" सीमा के क़ानूनों को कभी-कभी "शांति के क़ानून" के रूप में वर्णित किया जाता है। सीमा का असीमित और सतत खतरनाक असुरक्षा और अनिश्चितता पैदा होती है; किसी भी प्रकार की सीमा के लिए सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। यह सिद्धांत इस कहावत पर आधारित है "*इंटर रिस्ट्रिक्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम*", अर्थात, राज्य के हित के लिए आवश्यक है कि *टर्बोचार्जी* का अंत होना चाहिए, लेकिन साथ ही सीमा के कानूनी ढांचे को मजबूत करने वाले निजी न्याय को सुनिश्चित करने का एक साधन है समय-सीमा तय करने का उद्देश्य सामान्य कल्याण के उद्देश्य से कानूनी राहत के लिए समय-सीमा तय करने वाली सार्वजनिक नीति पर आधारित है। उनका उद्देश्य यह देखना है कि पार्टियाँ ताल-मटोल की रणनीति का सहारा न लें बल्कि अपने कानूनी उपायों का तुरंत लाभ उठाएं। सैल्मंड ने अपने न्यायशास्त्र में कहा है कि कानून का पालन करने वाले लोगों की सहायता के लिए आते हैं, नींद में नहीं।"

(13) **बसवराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एससीसी 81** में प्रकाशित मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना गया है कि विलंब को माफ करने के विवेक का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। आगे यह पाया गया है कि यदि लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना की कमी के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" की उदारतापूर्वक व्याख्या नहीं की जा सकती है। आगे यह

देखा गया है कि भले ही सीमा किसी पार्टी के अधिकारों को कठोरता से प्रभावित कर सकती है, लेकिन क़ानून द्वारा निर्धारित होने पर इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। आगे यह देखा गया है कि यदि किसी पक्ष ने लापरवाही, सद्भावना की कमी या निष्क्रियता के साथ काम किया है, तो शर्तें लगाकर भी विलंब को माफ करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता है। यह देखा गया है कि विलंब माफ़ी के प्रत्येक आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। आगे यह देखा गया है कि यदि न्यायालय विलंब को माफ करना शुरू कर देती हैं, जहां कोई पर्याप्त कारण नहीं बनता है, तो शर्तें लगाकर, तो यह वैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और विधायिका के प्रति घोर उपेक्षा होगी।

(14) पुंडलिक जालम पाटिल (सुप्रा.) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि न्यायालय समानता के आधार पर विलंबित और पुराने दावों की जांच नहीं कर सकती है। विलंब समता को पराजित करता है। न्यायालय उन लोगों की मदद करते हैं जो सतर्क हैं और "अपने अधिकारों को लेकर सोते नहीं हैं"।

(15) उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में वर्तमान आवेदन में दिखाए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय 2264 दिनों की निराशाजनक विलंब को पर्याप्त कारण के अभाव में माफ करने में खुद को असमर्थ पाता है।

(16) अन्यथा भी रिट याचिकाओं के बैच को इस न्यायालय द्वारा 07.09.2016 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुमति दी गई थी, अब इस समीक्षा याचिका का उपयोग न्यायालय की राय या दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। समीक्षा याचिका पर तभी विचार किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो। इस न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह उन्हीं तथ्यों की दोबारा समीक्षा करे और किसी अलग निष्कर्ष पर पहुंचे। तथ्यों की सराहना करने और प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद एक बार जो निष्कर्ष निकलता है, उस पर समीक्षा याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह न दिखाया जाए कि रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि है। वर्तमान मामले में समीक्षा याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि इंगित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसके विपरीत तत्काल समीक्षा

याचिका की आड़ में, याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रहा है।

(17) यहां ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय को दिनांक 07.09.2016 के आदेश की समीक्षा करने या वापस लेने के लिए रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं मिली। छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद इस समीक्षा याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बनता है।

तदनुसार, विलंब की माफी के लिए आवेदन संख्या 22/2023 को खारिज कर दिया गया है। समीक्षा याचिका को भी परिसीमा बाधित मानकर खारिज किया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

db/KuD/150

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।